



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272899
CG-DL-E-27052026-272899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2577]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2577]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2670(अ).— बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 30 मार्च, 2026 के का.आ.सं.1654(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में आगे निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नांकित पीठासीन अधिकारी और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

- “1. सुश्री वर्षा चंद्रा सिन्हा - पीठासीन अधिकारी
संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
विधि कार्य विभाग,
चौथा तल, ए विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एम-16013/02/2025-बीमा-I]
देबाशीष पृष्ठी, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में 30 मार्च, 2026 के क.आ. संख्या 1654(अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2670(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 30th March, 2026 *vide* S.O. No. 1654 (E), dated 30th March, 2026, namely :—

2. In the said notification, for serial no. 1 and entries relating thereto, the following said Presiding Officer and entries shall be substituted, namely:—

“1. Ms. Varsha Chandra Sinha - Presiding Officer;
Joint Secretary & Law Officer
Department of Legal Affairs,
4th Floor, A- Wing,
Shastri Bhawan, New Delhi-1 10001”

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M-16013/02/2025-Ins. I]
DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. No. 1654 (E), dated 30th March, 2026.